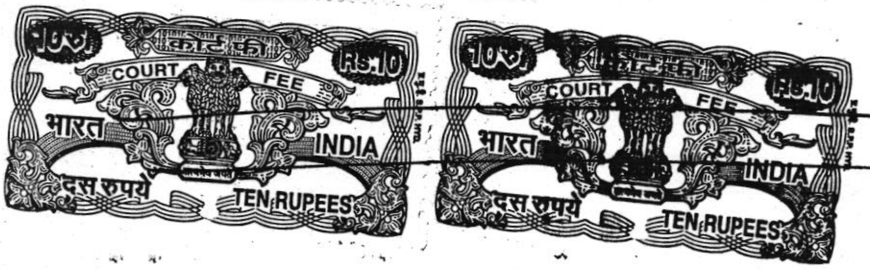

468

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, केन्द्र ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक/ /2014 निगरानी R 2468-I/14

1- श्रीमती शकुन्तलाबाई विधवा जवाहरलाल
2- शलेन्द्र पिता जवाहरलाल दोनो निवासीगण
26 राजस्व कालोनी उज्जैन म0प्र0--- आवेदकगण

के के त्रिवेदी अधि
6-8-14

6-8-14

विरूद्ध

दामोदर पिता नगजीराम निवासी ग्राम चन्देसरा
तहसील व जिला उज्जैन ---अनावेदक

पुनरिक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

माननीय महोदय,

K.K.Dwivedi
6/8/14

आवेदकगण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 01/अ-13/12-13 में पारित आदेश दिनांक 11-7-2014 से, असंतुष्ट एवं दुखीद होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरिक्षण अन्दर अवधी प्रस्तुत करते है ।

1- यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि अनावेदकगण द्वारा पूर्व में वर्ष 2008 में इसी रास्ते के लिये विवाद किया था । जो प्रकरण क्र0 7/अ-13/08-09 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में दिनांक 5-8-2010 को अन्तिम निराकरण किया जाकर प्रकरण का गुण दोष पर निराकरण करते हुवे निरस्त कर दिया । जिसकी कोई अपील अथवा निगरानी नही की । इस प्रकार से उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है ।

3- यह कि उक्त प्रकरण अनावेदक दामोदर व उसके भाई जगदीश तथा अन्य 6 लोगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था । तथा वर्तमान प्रकरण अनावेदक दामोदर द्वारा प्रस्तुत किया है । परन्तु अनावेदक दामोदर द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत आवेदन में जहां से आवेदकगण की भूमि मे से रास्ता चाहा था उसी भूमि में पुनः रास्ता चाहा गया है । इस प्रकार धारा 11 सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार रेजज्युडिकेटा की

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी2468-एक/14 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २४-५-१९ को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	